द्वारा फैक्स/ई-मेल/पदोन्नति प्रकरण

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-।

संख्या:पाँच-2500(वरि0पदोन्नति)-2013 दिनाँक:फरवरी 16,2014

सेवा में,

1-समस्त विभागाध्यक्ष अजनपदीय शाखा, पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

विषय: आरक्षी ना0पु0 से मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर वरिष्ठता के आधार पर(अनुपयुक्तों को छोड़कर) पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये कर्मियों के पदोन्नति आदेश निर्गत करने एवं मुहर बन्द लिफाफे का रख-रखाव/निस्तारण के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि दिनॉक:01-01-1970 से 31-12-1981 के मध्य भर्ती आरक्षी ना0पु0 से मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति की कार्यवाही उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2008 यथा संशोधित (षष्टम संशोधन)-2014 में निहित प्रावधानों एवं पत्र संख्या:पीएचक्यू-पॉच-2500(वरिष्ठता) 2013 दिनॉक:22-11-2013 के कम में शासन के पत्र संख्या:3635/छः-पु-1-13-115/08 दिनॉक:09-01-2014 के माध्यम से प्राप्त उपरोक्त सेवा नियमावली के नियम-17 व 22 के शिथिलीकरण के अनुसार उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सम्पादित करायी गयी है।

2- चयन समिति की संस्तुतियों को पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित कर्मियों के पदोन्नति आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया जाना है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली-2008 यथा संशोधित(प्रथम संशोधन)-2009 के नियम-3 (ख) के अनुसार आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी के नियुक्त प्राधिकारी "पुलिस अधीक्षक" है।

3- सदस्य सचिव, उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्या:पीआर पीबी-तीन-3(1)2014 दिनॉक 16-02-2014 द्वारा चयन समिति की संस्तुतियों को अग्रेतर कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है। चयन समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों को पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। आरक्षी ना0पु0 से मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये कर्मी, कर्मी जिनकी संस्तुतियॉ मुहर बन्द लिफाफे मे रखी गयी हैं एवं कर्मी जिनके सेवा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण उनकी उपयुक्तता पर विचार नहीं हो सका है, का संख्यात्मक विवरण **संलग्न** है।

4- चयन समिति द्वारा जिन कर्मियों को मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है एवं जिन कर्मियों के विरूद्ध शासनादेश संख्या:13/21/89-का-1-1997 दिनांक 28-05-1997 के प्रस्तर-2 (क)(ख)(ग) में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान होने के आधार पर उनके चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखा गया है, उनकी अलग-अलग सूचियॉ एवं सम्बन्धित मुहर बन्द लिफाफे मूल रूप में निम्नलिखित निर्देशों के साथ अग्रेतर कार्यवाही हेतु भेजा जा रहा है:-

(1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये कर्मियों के पदोन्नति आदेश निर्गत करने से पूर्व **संलग्न प्रारूप (क)** में स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र लेकर यह सुनिश्चित करेगें कि सम्बन्धित कर्मी के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली-1991 के नियम-14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई अपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है तथा वर्तमान में कर्मी निलम्बित नहीं है।

(2) यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र में प्रस्तर-4(1) में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं हैं, तो सम्बन्धित कर्मियों को **संलग्न प्रारूप (ख)** के अनुसार उनके मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये जायेगें तथा वे नियुक्ति स्थान पर ही कार्यभार ग्रहण करेगें।

(3) कुछ चयन समितियों द्वारा दिनॉक:31–01–2014 को सेवानिवृत्त हो चुके कर्मियों पर भी विचार किया गया है, ऐसे कर्मियों के पदोन्नति आदेश निर्गत नहीं किये जायेंगे।

(4) यदि सम्बन्धित कर्मी जनपद/इकाई से अन्यत्र स्थानान्तरित हो गया हो तो तत्काल अपने स्तर से उसके नवनियुक्ति जनपद/इकाई को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु अवगत करायें तथा पुलिस मुख्यालय को भी सूचित करें।

(5) यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा–पत्र में प्रस्तर–4(1) में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती हैं, तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति आदेश निर्गत न किये जाय तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये दिशा–निर्देश प्राप्त किया जायेगा।

(6) पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे उ0प्र0 पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली–2008 यथासंशोधित के प्रावधानों के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा विहित किया जायेगा। **इनके प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अलग से निर्देश जारी किये जायेगें।**

(7) चयन समिति द्वारा जिन कर्मियों के प्रकरण को शासनादेश संख्याः 13/ 21/89–का–1–1997 दिनांक 28–05–1997 के प्रस्तर–2 (क)(ख)(ग) में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान होने के आधार पर उनके चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे रखा गया है, उनके **मुहर बन्द लिफाफे को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अपने व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखा जायेगा।**

(8) जिन कर्मियों के चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखा गया है, उन कारणों से सम्बन्धित कर्मियों को अवगत कराया जायेगा तथा प्राप्त प्रत्यावेदनों में दर्शाये तथ्यों के अद्यावधिक स्थिति ज्ञात कर शासनादेश दिनॉक:28–05–1997 के अनुसार उनके निस्तारण के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अग्रेतर कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(9) पूर्ववर्ती चयनों के आधार पर मौलिक रूप से मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर कार्यरत मुख्य आरक्षी वर्तमान चयन में प्रोन्नत किये जा रहे मुख्य आरक्षियों से ज्येष्ठ होगें तथा उनकी पारस्परिक वरिष्ठता नियमों के अनुसार पृथक रूप से निर्धारित की जायेगी।

दिनॉक:01–01–1970 से 31–12–1981 के मध्य भर्ती समस्त आरक्षी, जो चयन समितियों द्वारा मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये हैं, की वरिष्ठता निम्नलिखित रीति से निर्धारित की जायेगी:–

1– पूर्ववर्ती "वर्ष (बैच)" में चयनित आरक्षी पश्चात्‌वर्ती "वर्ष (बैच)" में चयनित आरक्षी से मुख्य आरक्षी के रूप में ज्येष्ठ होगें।

2– पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी जिनका "वर्ष (बैच)" समान है, उनमें जिस आरक्षी की आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि पूर्व की होगी वह पश्चात्‌वर्ती तिथि में आरक्षी पद पर भर्ती हुये कर्मियों से मुख्य आरक्षी के रूप में ज्येष्ठ होगें।

3– पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी, जिनका "वर्ष (बैच)" समान है तथा जिनका आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि भी समान हो, उनकी मुख्य आरक्षी के पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता मुख्य आरक्षी ना0पु0 के प्रशिक्षण में कुल प्राप्तांकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

4– पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी, जिनका "वर्ष (बैच)" समान है तथा जिनका आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि भी समान हो तथा मुख्य आरक्षी के प्रशिक्षण में कुल प्राप्तांकों के भी समान होने की दशा में मुख्य आरक्षी के पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता बाह्य प्रशिक्षण के प्राप्तांकों के आधार पर, तथा बाह्य प्रशिक्षण के अंक भी समान होने की दशा में उनके जन्मतिथि को वरीयता देते हुये निर्धारित की जायेगी।

(10) मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति पाये कर्मियों को समयावधि पूर्ण के आधार पर आगामी लोक सभा चुनाव के दृष्टिगत स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा।

(11) चयन समितियों द्वारा जिन कर्मियों के सेवा अभिलेख अपूर्ण होने के कारण उनके पदोन्नति प्रकरण को अविचारित रखा गया है, उन कर्मियों के सेवा अभिलेख 15 दिवस के अन्दर पूर्ण कराकर बोर्ड–प्रपत्र–3 में सूचनायें/विवरण चरित्रपंजिका सहित पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाय।

5– चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये कर्मियों एवं जिन कर्मियों के चयन परिणाम को मुहर बन्द लिफाफे में रखा गया है, उनकी सूचियॉ उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट http://uppolice.gov.in/frmCircular.aspx?slugName=phq&Subname=EstMCivPolice पर प्रकाशित की गयी है। अतः अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार डाउन लोड कर प्रारूप (क) के अनुसार घोषणा–पत्र प्राप्त कर प्रारूप (ख) के अनुसार पदोन्नति आदेश निर्गत करते हुये अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करायें तथा कृत कार्यवाही से पुलिस मुख्यालय को भी अवगत करायें। यदि किसी कर्मी का पदोन्नति आदेश निर्गत न हो पाये तो इस सम्बन्ध में अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत कराया जाय।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

14/2/14

(भगवान स्वरूप)
पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक,उत्तर प्रदेश।
2– समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि यदि किन्हीं कारणों से जनपद में वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक उपलब्ध न हो तो सम्बन्धित जनपद के पदोन्नति आदेश निर्गत करने हेतु अपने परिक्षेत्र के अन्तर्गत किसी जनपद के वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक को अधिकृत करने का कष्ट करें।
3– समस्त कार्यालयाध्यक्ष, अजनपदीय शाखा पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश।
4– पुलिस उपमहानिरीक्षक,एन0आई0ए0, 1/131 विजयखण्डगोमती नगर लखनऊ।
5– निदेशक, अन्य पिछड़ा वर्ग निदेशालय इन्दिरा भवन लखनऊ।
6– आयुक्त व्यापार कर विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
7– पुलिस अधीक्षक,पावर कारपोरेशन उ0प्र0 लखनऊ।
8– पुलिस अधीक्षक,सीबीआई लखनऊ।
9– पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ।
10– पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ।
11– पुलिस अधीक्षक, वाणिज्य कर विभाग लखनऊ।
12– संयुक्त सचिव, इलाहाबाद विकास प्राधिकारण, इलाहाबाद।
13– सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकारण, गाजियाबाद।
14– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।
15– संयुक्त सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ।
16– मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सेक्टर–6, गौतमबुद्धनगर।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपिःनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– अपर पुलिस महानिदेशक,कार्मिक उ0प्र0 लखनऊ।
2– पुलिस महानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया अपने स्तर से भी समस्त सम्बन्धित को अपेक्षित कार्यवाही समय से पूर्ण करने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें।

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि–पुलिस महानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।

———

प्रारूप–(क)

घोषणा–पत्र

मैं, शपथकर्ता (नाम/पदनाम व पीएनओ)----------------------------------पुत्र ----------निवासी----------------------थाना-------------जनपद----------------
वर्तमान में (जनपद/इकाई)---------------------------- नियुक्त हूँ। मुझे मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु अनुमोदित किया गया है। उक्त सम्बन्ध में मैं, प्रमाणित करता हूँ कि मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली–1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई अपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। मेरे द्वारा प्रमाणित घोषणा–पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरे पदोन्नति आदेश निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत कर दिया जाय। यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशोहवास में बिना किसी दबाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा। घोषणा–पत्र में उल्लिखित तथ्यों का मेरे द्वारा पालन न किये जाने पर मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर
नाम–
पीएनओ–
पदनाम–
नियुक्ति स्थान–
दिनॉक:

यदि शपथकर्ता के विरूद्ध उपरोक्तानुसार विभागीय कार्यवाही अथवा अपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन/लम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण शपथकर्ता द्वारा नीचे अंकित किया जायेगा।

शपथकर्ता का हस्ताक्षर
नाम–
पीएनओ–
पदनाम–
नियुक्ति स्थान–
दिनॉक:

प्रारूप—(ख)

कार्यालय वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक, ———

संख्या: दिनॉक:फरवरी ,2014

आदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली—2008 यथा संशोधित (षष्टम संशोधन)—2014 में निहित प्रावधानों एवं पत्र संख्या:पीएचक्यू—पॉच—2500(वरिष्ठता) 2013 दिनॉक:22—11—2013 के क्रम में शासन के पत्र संख्या:3635/छः—पु—1—13—115/08 दिनॉक:09—01—2014 के माध्यम से प्राप्त उपरोक्त सेवा नियमावली के नियम—17 व 22 के शिथिलीकरण के अनुसार उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा निम्नलिखित आरक्षी ना0पु0, आरक्षी एलआईयू, मुख्य आरक्षी ना0पु0(वि0श्रे0) एवं मुख्य आरक्षी एलआईयू (विशेष श्रेणी) को मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया गया है:—

क0सं0	पीएनओ	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	भर्ती की तिथि	भर्ती का वर्ष	नियुक्ति स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
2							

2— उपरोक्त अनुमादित कर्मियों द्वारा प्रस्तुत स्वघोषणा—पत्र में यह घोषणा की गयी है कि उनके विरूद्व उ0प्र0 अधीनरथ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों /कर्मचारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली—1991 के नियम—14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित/प्रचलित नहीं है और न ही कोई अपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। स्वघोषणा—पत्र में अंकित तथ्य यदि असत्य पाया जाता है तथा यह पाया जाता है कि कोई तथ्य छुपाया गया है तो उनकी पदोन्नति आदेश निरस्त कर मूल पद पर पदावनत कर दिया जायेगा तथा विधिक कार्यवाही की जायेगी।

3— अतः उपरोक्त कर्मियों को प्राधिकृत बोर्ड द्वारा मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाने एवं अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत स्वघोषणा—पत्र के आधार पर इन्हें तत्कालिक प्रभाव से मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है। पदोन्नति पाये समस्त मुख्य आरक्षी ना0पु0 अपनी नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगें, जिसे सेवा निमयावली के प्रावधानों के अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि में ही मुख्य आरक्षी ना0पु0 के पद के लिये पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में अलग से निर्देश जारी किये जायेगें।

प्रभारी वरिष्ठ/पुलिस अधीक्षक
जनपद—

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को उपरोक्त सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—

2—

3—

संख्या तथा दिनॉक वही।

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ प्रेषित:—

1— पुलिस महानिरीक्षक,जोन...............................

2— पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र.................................

3— पुलिस उपमहानिरीक्षक,स्थापना उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद।

4—

5—

संख्यात्मक विवरण						
ZONE / UNITS	RANGE	DISTT	उपयुक्त की संख्या	शील्ड कवर की संख्या	अविचारित की संख्या	कुल योग
AGA	AGA	AGRA	434	12	2	448
		FIROZABAD	384	14	1	399
		MAINPURI	116	5	0	121
		MATHURA	333	11	1	345
	AIH	ALIGARH	263	6	6	275
		ETAH	190	2	5	197
		HATHRAS	256	13	7	276
		KASGANJ	169	2	2	173
ALD	ALD	ALLAHABAD	455	16	3	474
		FATEHPUR	178	11	6	195
		KAUSHAMBHI	131	8	38	177
		PRATAPGARH	163	6	2	171
	CKT	BANDA	136	3	9	148
		CHITARKOOT	129	1	15	145
		HAMIRPUR	89	1	2	92
		MAHOBA	115	4	7	126
BRY	BRY	BADAUN	147	12	1	160
		BAREILLY	351	19	1	371
		PILIBHIT	198	15	2	215
		SHAHJHANPUR	225	11	1	237
	MDD	AMROHA	194	0	1	195
		BIJNOR	167	6	3	176
		MORADABAD	185	5	1	191
		RAMPUR	184	10	2	196
		SAMBHAL	171	4	7	182
GKR	BSI	BASTI	145	2	0	147
		KABIRNAGAR	242	9	0	251
		SIDDHARTH NAGAR	171	4	0	175
	DPN	BAHRAICH	139	3	2	144
		BALRAMPUR	193	5	0	198
		GONDA	112	5	2	119
		SHRAVASTI	91	1	0	92
	GKR	DEORIA	205	4	0	209
		GORAKHPUR	447	15	0	462
		KUSHINAGAR	271	6	0	277
		MAHARAJGANJ	354	4	0	358
KNR	JSI	JALAUN	132	3	0	135
		JHANSI	181	5	0	186
		LALITPUR	161	3	1	165
	KNR	AURRAIYA	191	8	1	200
		ETAWAH	203	12	0	215
		FATEHGARH	154	5	0	159
		KANNAUJ	196	7	0	203

		KANPUR DEHAT	339	23	1	363
		KANPUR NAGAR	537	31	0	568
LKW	FZD	AMBEDKAR NAGAR	130	2	1	133
		AMETHI	144	12	0	156
		BARABANKI	135	6	3	144
		FAIZABAD	120	8	3	131
		SULTANPUR	124	18	2	144
	LKW	HARDOI	194	14	1	209
		KHIRI	183	27	0	210
		LUCKNOW	637	36	13	686
		RAEBARELI	147	12	2	161
		SITAPUR	205	13	2	220
		UNNAO	226	19	0	245
MRT	MRT	BAGHPAT	316	7	3	326
		BULANDSHAHAR	257	6	1	264
		GAUTAMBUDDHA NAGAR	304	6	0	310
		GHAZIABAD	282	11	6	299
		HAPUR	166	8	0	174
		MEERUT	504	11	4	519
	SRR	MUZAFFARNAGAR	237	9	5	251
		SAHARANPUR	220	5	2	227
		SHAMLI	114	11	0	125
VNS	AZH	AZAMGARH	278	11	0	289
		BALLIA	219	12	0	231
		MAU	352	13	0	365
	MZR	BHADOHI	150	6	0	156
		MIRZAPUR	186	8	1	195
		SONBHADRA	129	4	0	133
	VNS	CHANDAULI	377	13	3	393
		GHAZIPUR	271	10	2	283
		JAUNPUR	317	6	5	328
		VARANASI	515	14	7	536
GRP HQ LKW	GRP AGRA		9	0	0	9
	GRP ALLAHABAD		12	0	11	23
	GRP JHANSI		6	0	2	8
	GRP LUCKNOW		3	0	0	3
	GRP MORADABAD		1	1	1	3
INTELLEGENCE (Including,INT HQ LKW,ZO AGRA,ZO ALLAHABAD, ZO BAREILLY, ZO FAIZABAD, ZO GORAKHPUR, ZO KANPUR, ZO LUCKNOW, ZO MEERUT, ZO MORADABAD,ZO VARANASI			219	1	2	222

TRAINING HQ 5 (Including B.R. AMBEDKAR ACADEMY MORADABAD, PTC MORADABAD, PTC MORADABAD,PTS MEERUT, RTC CHUNAR,TRAINING DIRECTORATE)	4	1	0	5
ACO LKW	22	1	0	23
ANT - DACOIT	2	0	0	2
ATS	5	0	0	5
CBCID HQ LKW	113	2	1	116
COMPUTER CENTER LKW	1	0	0	1
EOW LKW	35	0	2	37
FOOD CELL	2	0	1	3
SCRB LKW	3	0	0	3
KANPUR CENTRAL STORE	1	0	0	1
SECURITY HQ	16	0	0	16
SIB CO-OPERATIVE	37	0	0	37
SIT HQ LKW	5	0	0	5
SPL INQUIRY	2	0	0	2
STF LKW	2	0	0	2
UPPRB	10	0	0	10
VIG LKW	56	0	8	64
Grand Total	17832	696	226	18754